राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

क्र.14152/सम्बद्धता/रा.मा.तो.वि.वि./2025 दिनांक 30/06/2025

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में संबद्ध महाविद्यालयों की अस्थाई निरंतरता एवं नवीन महाविद्यालयों की नवीन अस्थाई संबद्धता

//अधिसूचना//

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) से संबद्ध संगीत एवं कला महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2025–26 में अस्थाई निरंतरता एवं नवीन महाविद्यालयों को अस्थाई संबद्धता प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक सूचनाएँ।

1. **आवेदन पत्र** : विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की सत्र 2025–26 में अस्थाई निरंतरता एवं संस्कृति संचालनालय भोपाल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों की नवीन संबद्धता हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन शुल्क राशि रू 5000/– (पांच हजार मात्र) के साथ आवेदन कर आवश्यक प्रतिपूर्तियों एवं संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 25.05.2025, 27.05.2025 एवं 29.05.2025 निर्धारित की गई।

2. **निरीक्षण प्रक्रिया उपरांत संबद्धता/निरंतरता** : महाविद्यालयों की संबद्धता/निरंतरता के संबंध में कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 15.01.2025 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सत्र 2025–26 हेतु संबद्धता/निरंतरता संबंधी प्रक्रिया के क्रम में निरीक्षण समितियों की अनुशंसाओं के विद्या परिषद् द्वारा किये गये अनुमोदन के आधार पर संबंधित महाविद्यालयों की सत्र 2025–26 हेतु नवीन संबद्धता एवं पूर्व संबद्ध महाविद्यालयों की निरंतरता मान्य की जाती है।

3. **पंजीयन शुल्क** : पाठयक्रमों के उन्नयन एवं नवीन संबद्धता हेतु पंजीयन शुल्क निम्नानुसार देय होगा।

   1. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (10+2 परीक्षा अहर्ता तक) हेतु पंजीयन शुल्क राशि रूपये 5,000/–
   2. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु पंजीयन शुल्क राशि रूपये 12000/–
   3. स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु पंजीयन शुल्क राशि रूपये 16000/–
   4. स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु पंजीयन शुल्क राशि रूपये 20000/–
   5. निरंतरता प्राप्त कर रहे महाविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमों के उन्नयन हेतु (आवश्यकतानुसार) पंजीयन शुल्क राशि एक ही बार जमा करायी जावेगी।

6. नवीन संबद्धता प्राप्त कर रहे महाविद्यालयों द्वारा संस्कृति संचालनालय द्वारा जारी अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों हेतु पंजीयन राशि नवीन संबद्धता वर्ष में एक ही बार जमा कराई जावेगी।
7. महाविद्यालयों द्वारा भविष्य में संबंधित पाठ्यक्रम अथवा महाविद्यालय बंद करने की स्थिति में पंजीयन राशि वापिस नहीं की जावेगी।

4. सुरक्षा निधि :

1. पूर्व संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा पूर्व में जमा कराई गई एफ.डी.आर. की परिपक्वता अवधि समाप्त होने की स्थिति में नवीन सत्र में नवीनीकृत एफ.डी.आर. जमा कराये जाने के उपरांत ही संबंधित महाविद्यालय को नवीन सत्र 2025–26 हेतु मान्य किया जा सकेगा।
2. नवीन संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा सुरक्षा निधि स्वरूप एफ.डी.आर. जमा कराये जाने के उपरांत ही संबंधित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से नवीन अस्थाई संबद्धता संबंधी पत्र जारी किया जा सकेगा।
3. 10+2 परीक्षा तक अहर्ता पाठ्यक्रमों हेतु सुरक्षा निधि राशि 10,000/– एवं 10+2 परीक्षा से अधिक अहर्ता पाठ्यक्रमों हेतु सुरक्षा निधि राशि 20,000/– होगी।
4. महाविद्यालयों द्वारा सुरक्षा निधि स्वरूप एफ.डी.आर. के माध्यम से जमा कराई जाने वाली राशि अधिकतम 20,000/– होगी।
5. निरंतरता प्राप्त कर रहे महाविद्यालयों द्वारा नवीन सत्र में किसी अन्य कक्षा/विषय की अतिरिक्त सम्बद्धता प्राप्त किये जाने पर पूर्व में जमा की गई सुरक्षा निधि राशि रूपये 20,000/– से कम होने की स्थिति में शेष राशि जमा कराई जावेगी।
6. सुरक्षा निधि राशि स्वरूप एफ.डी.आर. संबंधित महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के अध्यक्ष अथवा सचिव शासी निकाय एवं कुलसचिव, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के संयुक्त नाम से बनवाकर वि.वि. में जमा की जावेगी।
7. सुरक्षा निधि स्वरूप जमा कराई गई एफ.डी.आर. की परिपक्वता अवधि समाप्त होने पर नवीनीकृत एफ.डी.आर. विश्वविद्यालय में जमा कराने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

5. सीट संख्या का निर्धारण : सत्र 2025–26 में समस्त सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु 40 सीट प्रति कक्षा/विषय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु 30 सीट प्रति कक्षा/विषय निर्धारित की गई है। **निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु सत्र 2025–26 में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।**

6. <u>संबद्धता/निरंतरता शुल्क :</u>

1. सत्र 2025–26 हेतु निरीक्षण समितियों प्राप्त अनुशंसायें विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालयों को अस्थाई निरंतरता/नवीन अस्थाई संबद्धता शुल्क (18% जी.एस.टी. सहित) निर्धारित तिथि तक जमा कराये जाने संबंधी पत्र जारी किये जा सकेंगे।

2. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता/निरंतरता राशि एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। महाविद्यालयों द्वारा एम. पी. ऑनलाईन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से जमा किया गया संबद्धता/निरंतरता शुल्क मान्य नहीं होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। निर्धारित तिथि तक एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से संबद्धता/निरंतरता शुल्क जमा न कराये जाने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय की सत्र 2025–26 हेतु संबद्धता/निरंतरता मान्य नहीं होगी।

3. **सत्र 2025–26 में फैशन डिजाईन, इंटीरियर डिजाईन, टेक्सटाईल डिजाईन, गेम डिजाईन, ऐनीमेशन, पॉटरी सेरेमिक एवं फोटोग्राफी विषयों की संबद्धता/निरंतरता शुल्क में 10% (राऊण्ड अप) की वृद्धि की गई है। शेष पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु सत्र 2024–25 में निर्धारित संबद्धता/निरंतरता शुल्क यथावत् रहेगा।**

4. **स्वरवाद्य (सितार, वायलिन, सरोद, हार्मोनियम आदि) एवं नृत्य (कथक एवं भरतनाट्यम) विषयों हेतु पृथक–पृथक संबद्धता/निरंतरता शुल्क (18% जीएसटी सहित) जमा कराना होगा।**

5. **सत्र 2025–26 में समस्त स्नातकोत्तर स्वाध्यायी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु महाविद्यालयों द्वारा पृथक संबद्धता/निरंतरता शुल्क (18% जीएसटी सहित) जमा कराना** होगा।

6. **सत्र 2025–26 से समस्त** शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता/निरंतरता शुल्क की पूर्ण राशि जमा कराई जावेगी।

7. संबद्धता/निरंतरता शुल्क की दरें (प्रति विषय) जो सत्र 2025–26 में प्रभावशील होंगी।

स्नातक/स्नातकोत्तर/सर्टिफिकेट/डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम	निरंतरता शुल्क राशि	नवीन संबद्धता शुल्क राशि
01.	एम.एफ.ए. (प्रति विषय)	15750/–	31500/–
02.	एम.पी.ए. (प्रति विषय)	15000/–	20000/–
03.	एम.ए. (प्रति विषय)	12600/–	26250/–
04.	बी.एफ.ए. (प्रति विषय)	12600/–	21000/–
05.	बी.पी.ए. (प्रति विषय)	12000/–	15000/–
06.	बी. डिजाईन (प्रति विषय)	35000/–	46000/–
07.	बी.ए. (प्रति विषय)	9000/–	15000/–
08.	सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट (प्रति विषय)	18000/–	20000/–
09.	सर्टिफिकेट इन फाईन आर्ट (चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला)	18000/–	20000/–
10.	सर्टिफिकेट इन फाईन आर्ट (फैशन डिजाईन, इंटीरियर डिजाईन, टेक्सटाईल डिजाईन, गेम डिजाईन, ऐनीमेशन डिजाईन, फोटोग्राफी, पॉटरी सेरेमिक)	20000/–	22000/–
11.	डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट (प्रति विषय)	18000/–	20000/–
12.	डिप्लोमा इन फाईन आर्ट (चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला)	18000/–	20000/–
13.	डिप्लोमा इन फाईन आर्ट (फैशन डिजाईन, इंटीरियर डिजाईन, ऐनीमेशन डिजाईन)	20000/–	22000/–
14.	प्रवेशिका सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट (प्रति विषय)	2500/–	4000/–
15.	मध्यमा डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट (प्रति विषय)	2500/–	4000/–
16.	विद् डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट (प्रति विषय)	3000/–	4500/–
17.	कला रत्न डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट (प्रति विषय)	3500/–	5000/–
18.	जूनियर सर्टिफिकेट (प्रति विषय)	2500/–	4000/–
19.	जूनियर डिप्लोमा (प्रति विषय)	2500/–	6000/–
20.	संगीतिका जूनियर डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट	2000/–	4000/–
21.	संगीतिका सीनियर डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट	2500/–	6000/–

महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित तिथि तक अस्थाई निरंतरता/नवीन अस्थाई संबद्धता शुल्क जमा कराये जाने के पश्चात् सत्र 2025–26 में महाविद्यालय की अस्थाई निरंतरता/अस्थाई नवीन संबद्धता संबंधी पत्र जारी किये जा सकेंगे।

(माननीय कुलगुरू जी द्वारा अनुमोदित)

संबद्धता प्रभारी

कुलसचिव

क्र.14153/सम्बद्धता/रा.मा.तो.वि.वि./2025

दिनांक 30/06/2025

प्रतिलिपि :–

1 माननीय कुलपति जी, रा.मा.तो.वि.वि. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2 श्रीमान् प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, म. प्र. शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3 संचालक, संस्कृति संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4 विश्वविद्यालय लेखा विभाग की ओर सूचनार्थ।
5 विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6 गार्ड फाइल प्रति।

संबद्धता प्रभारी

कुलसचिव